लेखाशास्त्र

अलाभकारी संस्थाएँ एवं साझेदारी खाते

कक्षा 12 के लिए पाठ्यपुस्तक

NBCampus

12120

विद्यया ऽ मृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

2019-20

प्रथम संस्करण
अप्रैल 2007 चैत्र 1929

पुनर्मुद्रण
नवंबर 2007 कार्तिक 1929
दिसंबर 2008 पौष 1930
जनवरी 2010 माघ 1931
जनवरी 2011 माघ 1932
मार्च 2013 फाल्गुन 1934
मार्च 2019 फाल्गुन 1940

PD 5T RSP

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2007

₹ ??.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा गीता ऑफ़सेट प्रिंटर्स (प्रा.) लि., सी-90 एवं सी-86, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फ़ेज़-I, नयी दिल्ली - 110 020 द्वारा मुद्रित। द्वारा मुद्रित।

ISBN 81-7450-727-2

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलैक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुन: प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन सी ई आर टी के प्रकाशन विभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 फोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड
हेली एक्सटेंशन, होस्डेकेरे
बनाशंकरी III स्टेज
बेंगलुरु 560 085 फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस
निकट: धनकल बस स्टॉप पनिहटी
कोलकाता 700 114 फोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगांव
गुवाहाटी 781021 फोन : 0361-2674869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग	:	*एम. सिराज अनवर*
मुख्य संपादक	:	*श्वेता उप्पल*
मुख्य उत्पादन अधिकारी	:	*अरुण चितकारा*
मुख्य व्यापार प्रबंधक	:	*अबिनाश कुल्लू*
उत्पादन सहायक	:	*सुनील कुमार*

आवरण
श्वेता राव

NBCampus

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास हैं। इस प्रयास में हर विषय को एक मज़बूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएँगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक ज़िंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितनी वार्षिक केलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षा और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव कराने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती हैं। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है।

एन सी ई आर टी इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद् सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर हरि वासुदेवन और इस पाठ्यपुस्तक समिति के मुख्य सलाहकार प्रोफ़ेसर आर. के. ग्रोवर की विशेष आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान दिया, इस

NCERT not to be republished

योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री और सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफ़ेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफ़ेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन सी ई आर टी टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

नयी दिल्ली
20 नवंबर 2006

निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

NBCampus

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति

हरि वासुदेवन, *प्रोफ़ेसर,* इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता

मुख्य सलाहकार

आर. के. ग्रोवर, *प्रोफ़ेसर* (सेवानिवृत्त), स्कूल आफ़ मैनेजमेंट स्टडीज़, इग्नू, नयी दिल्ली।

सदस्य

एच.वी. झांब, *रीडर,* खालसा कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
एन. के. ककड़, *निदेशक,* महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट आफ़ मेनेजमेंट, रोहणी, नयी दिल्ली
एस.एस. सहरावत, *सहायक आयुक्त,* केंद्रीय विद्यालय संगठन, चंडीगढ़
एस.सी.हुसैन, *प्रोफ़ेसर,* वाणिज्य विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नयी दिल्ली
ओबल रेड्डी, *प्रोफ़ेसर,* वाणिज्य विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
डी. के. वेद, *प्रोफ़ेसर,* सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग, एनसीईआरटी नयी दिल्ली
दीपक सहगल, *रीडर,* दीन दयाल उपाध्याय कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
राजेश बंसल, *पीजीटी वाणिज्य,* रोहतगी ए.वी. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नयी सड़क, दिल्ली
वनिता त्रिपाठी, *लेक्चरर,* वाणिज्य विभाग, दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकॉनोमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
सविता शंगारी, *पीजीटी वाणिज्य,* ज्ञान भारती स्कूल, साकेत, नयी दिल्ली
सुधीर सपरा, *पीजीटी वाणिज्य,* केंद्रीय विद्यालय, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश

हिन्दी अनुवाद

अमर सिंह सचान, *अनुवादक,* आर. के. पुरम, नयी दिल्ली
राजेश बंसल, *पीजीटी वाणिज्य,* रोहतगी ए.वी. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नयी सड़क, दिल्ली

सदस्य-समन्वयक

शिप्रा वैद्या, *प्रोफ़ेसर* (वाणिज्य), सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नयी दिल्ली

NBCampus

आभार

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इस पुस्तक के निर्माण एवं पुनरीक्षण में सहयोग देने हेतु पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति का आभार व्यक्त करती है।

परिषद्, सविता सिन्हा, *प्रोफ़ेसर* एवं *विभागाध्यक्ष* (सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग) के प्रति भी अपनी कृतज्ञता अर्पित करती है, जिन्होंने इस पाठ्यपुस्तक को पूर्ण रूप देने में अपना अमूल्य योगदान दिया। हम उन सभी वाणिज्य शिक्षकों के भी आभारी हैं, जिन्होंने इस पाठ्यपुस्तक की क्यू. आर. कोड की अतिरिक्त पाठ्य सामग्री तैयार करने में अपना योगदान दिया है।

परिषद्, मुसर्रत परवीन, कॉपी एडीटर; अनिल शर्मा, प्रूफ रीडर के सहयोग हेतु अपना हार्दिक आभार ज्ञापित करती है, जिन्होंने इस पाठ्यपुस्तक को पूर्ण रूप देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी संदर्भ में प्रकाशन विभाग, एन सी ई आर टी का सहयोग भी उल्लेखनीय है।

NBCampus

विषय-सूची

आमुख	*iii*
अध्याय 1 अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन	**1**
1.1 अलाभकारी संस्थानों का अर्थ एवं विशेषताएँ	1
1.2 अलाभकारी संस्थाओं के अभिलेखों का लेखांकन	2
1.3 प्राप्ति एवं भुगतान खाता	3
1.4 आय और व्यय खाता	13
1.5 तुलन पत्र	18
1.6 कुछ विशिष्ट मदें	23
1.7 तलपट पर आधारित आय और व्यय खाता	43
अध्याय 2 साझेदारी लेखांकन – आधारभूत अवधारणाएँ	**67**
2.1 साझेदारी की प्रकृति	68
2.2 साझेदारी विलेख	69
2.3 साझेदारी खातों के विशिष्ट पहलू	72
2.4 साझेदारों के पूँजी खातों का अनुरक्षण	72
2.5 साझेदारों के बीच लाभ का विभाजन	77
2.6 एक साझेदार को लाभ की गारंटी	92
2.7 पूर्व समायोजन	97
2.8 अंतिम लेखे	100
अध्याय 3 साझेदारी फर्म का पुनर्गठन : साझेदार का प्रवेश	**120**
3.1 साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के प्रकार	120
3.2 साझेदार का प्रवेश	121
3.3 नया लाभ विभाजन अनुपात	122
3.4 त्याग अनुपात	125
3.5 ख्याति	128
3.6 संचित लाभों और हानियों का समायोजन	151

NBCampus

3.7 परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों का पुनर्निर्धारण 152
3.8 पूँजी का समायोजन 158
3.9 वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन 170

अध्याय 4 साझेदारी फर्म का पुनर्गठन – साझेदार की सेवानिवृत्ति/मृत्यु 183
4.1 सेवानिवृत्त/मृत्त साझेदार को देय राशि का निर्धारण 183
4.2 नया लाभ विभाजन अनुपात 184
4.3 अभिलाभ अनुपात 185
4.4 ख्याति का व्यवहार 190
4.5 परिसंपत्तियों तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लिए समायोजन 200
4.6 संचित लाभों तथा हानियों का समायोजन 203
4.7 सेवानिवृत्त साझेदार को देय राशि का निपटारा 204
4.8 साझेदारों की पूँजी का समायोजन 213
4.9 साझेदार की मृत्यु 220

अध्याय 5 साझेदारी फर्म का विघटन 238
5.1 साझेदारी का विघटन 238
5.2 फर्म का विघटन 239
5.3 खातों का निपटारा 240
5.4 लेखांकन व्यवहार 242

NBCampus

12120CH01

अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन

1

अधिगम उद्देश्य

इस अध्याय को पढ़ने के उपरांत आप :

- *अलाभकारी संस्थाओं का अर्थ और विशेषताएँ समझ सकेंगे।*
- *अलाभकारी संस्थाओं से संबंधित लेखांकन अभिलेखों की प्रकृति और आवश्यकता को पहचान सकेंगे।*
- *अलाभकारी संस्थाओं द्वारा तैयार किए जाने वाले वित्तीय विवरणों के सिद्धांतों की सूची तैयार कर पाएँगे और उसकी प्रकृति की व्याख्या कर सकेंगे।*
- *दी गई तिथि पर प्राप्ति एवं भुगतान खाते को तैयार कर सकेंगे।*
- *दिए गए प्राप्ति एवं भुगतान खाते और अतिरिक्त सूचनाओं से आय और व्यय खाता बनाने की प्रक्रिया की व्याख्या कर सकेंगे।*
- *आय और व्यय खाता तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाते के मध्य अंतर स्पष्ट कर सकेंगे।*
- *प्राप्ति एवं भुगतान खाते तथा इससे संबंधित अन्य सूचनाओं से आय और व्यय खाता और तुलन-पत्र तैयार कर पाएँगे।*
- *आय और व्यय खाते की कुछ विशिष्ट मदों जैसे सदस्यों से चंदा, विशिष्ट निधि, वसीयत, पुरानी स्थायी परिसंपत्तियों का विक्रय आदि के व्यवहार की व्याख्या कर पाएँगे।*

कुछ संस्थाएँ ऐसी होती हैं जो अपने सदस्यों तथा समाज को *सेवाएँ* प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की जाती हैं। इन संस्थाओं में धर्मार्थ संस्थान, विद्यालय, धार्मिक संस्थान, व्यापारिक संगठन, कल्याण समितियां और कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित संस्थान इत्यादि शामिल हैं। इस संस्थानों का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा होता है न कि अन्य *व्यापारिक* संस्थानों की तरह *लाभ* कमाना। सामान्यत: इस प्रकार के संस्थान किसी प्रकार की व्यापारिक गतिविधि नहीं करते और इनका संचालन न्यासी द्वारा किया जाता है, जो कि पूर्ण रूप से अपने सदस्यों और समिति की उत्पन्न निधि का उपयोग, संस्था के उद्देश्य को पूरा करने के लिए करते हैं। इसलिए इन्हें प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में (सामान्यत: वित्तीय वर्ष के लिए) खाते और वित्तीय विवरण बनाने होते हैं जो कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय और व्यय खाता तथा तुलन पत्र के रूप में हो सकते हैं।

यह एक कानूनी आवश्यकता भी है और उनके आय और व्यय खाते जो कि व्यापारिक संस्थानों द्वारा तैयार किए गए खातों से अलग प्रकृति के होते हैं, को बनाने में सहायक होते हैं।

1.1 अलाभकारी संस्थानों का अर्थ एवं विशेषताएँ

अलाभकारी संस्थाओं से आशय ऐसे संस्थानों से है जिनका प्रयोग सामाजिक कल्याण के लिए होता है तथा जिनका निर्माण धार्मिक संस्थानों, जिनका उद्देश्य लाभ से प्रेरित नहीं होता के लिए किया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य किसी विशिष्ट समूह या समस्त जनता को सेवाएँ प्रदान करना होता है। आमतौर पर यह किसी प्रकार का उत्पादन, क्रय या वस्तुओं का विक्रय और किसी प्रकार का उधार लेन-देन नहीं करती। इसलिए इन्हें लेखा पुस्तकों (जैसा कि व्यापार से संबंधित) और

NBCampus

व्यापारिक और लाभ तथा हानि खाता बनाने की आवश्यकता नहीं होती। इन संस्थानों द्वारा बनाई गई निधि पूँजी निधि अथवा सामान्य निधि में जमा की जाती है। आमतौर पर इनकी आय का मुख्य स्रोत, इसके सदस्यों से प्राप्त अनुदान तथा दान, सहायता विनिवेश से प्राप्त आय इत्यादि हो सकता है। इस प्रकार के संस्थानों द्वारा बहियों को रखने का मुख्य उद्देश्य वैधानिक ज़रूरतों को पूरा करना तथा उनके निधि के प्रयोग पर नियंत्रण में सहायता प्रदान करना है। प्रत्येक लेखा वर्ष की समाप्ति पर (सामान्यत: वित्तीय वर्ष) यह वित्तीय विवरण तैयार करती हैं तथा अपनी वित्तीय स्थिति के लिए आय तथा व्यय विवरण तैयार करती हैं और उन्हें वैधानिक प्राधिकरण में जमा करवाती हैं जिसे समिति पंजीकृत कहा जाता है।

इस प्रकार की संस्थाओं की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

1. यह संस्थान किसी विशिष्ट समूह या समस्त जनता को जैसे कि शिक्षण, व्यायामशाला, मनोरंजन, खेलकूद तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं को जाति, धर्म तथा रंग को ध्यान दिए बिना सेवाएँ प्रदान करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य सेवाओं को लागत के बिना या नाममात्र की लागत पर उपलब्ध कराना होता है न कि लाभ कमाना।
2. इनका निर्माण धर्मार्थ प्रन्यास/समाज की तरह होता है और इनमें अनुदान करने वाले इसके सदस्य कहलाते हैं।
3. इनके कार्यों का प्रबंध सामान्यत: प्रबंधक/शासन संबंधी कमेटी (समिति) तथा इसके चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है।
4. इन संस्थाओं की आय के मुख्य स्रोत हैं: (i) सदस्यों से अनुदान (ii) दान (iii) वसीयत (iv) अनुदान में सहायता (v) विनियोग से आय, इत्यादि।
5. इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्रोतों द्वारा बनाई गई निधि को पूँजी निधि अथवा सामान्य निधि में जमा किया जाता है।
6. व्यय पर आय का आधिक्य, अधिशेष के रूप में इसके सदस्यों के मध्य वितरित नहीं किया जाता। इसको सरल रूप से पूँजी निधियों में जोड़ेंगे।
7. अव्यापारिक संस्थाओं की प्रसिद्धि को सामाजिक कल्याण में उनके अंशदान के कारण उत्पन्न किया जाता है, न कि उनके ग्राहकों या मालिक के संतोष के कारण।
8. इन संस्थाओं द्वारा उपलब्ध लेखों की सूचना से आशय इनकी वर्तमान और मज़बूत अंशदान से वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने से है।

1.2 अलाभकारी संस्थाओं के अभिलेखों का लेखांकन

जैसे कि पहले वर्णन किया जा चुका है कि इस प्रकार की संस्थाएँ किसी भी प्रकार के उत्पादन या व्यापारिक गतिविधि में शामिल नहीं होती है। इनकी आय का मुख्य स्रोत, इसके सदस्यों से प्राप्त अनुदान, दान, सरकारी सहायता और विनियोग से प्राप्त आय है। अधिकतर लेन-देन रोकड़ और बैंक के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए सामान्यत: ये संस्थान एक रोकड़ पुस्तक रखते हैं जिसमें सभी प्राप्तियों और भुगतानों को प्रलेखित किया जाता है। यह एक लेखाबही भी प्रतिपादित करते हैं जिसमें सभी आय, व्यय, परिसंपत्तियों और दायित्वों का

NBCampus